

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2024

**No. 01/2024 – CENTRAL TAX**

**G.S.R. 30(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3B** for the month of November, 2023 till the tenth day of January, 2024, for the registered persons whose principal place of business is in the districts of Tirunelveli, Tenkasi, Kanyakumari, Thoothukudi and Virudhunagar in the state of Tamil Nadu and are required to furnish return under sub-section (1) of section 39 read with clause (i) of sub-rule (1) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from 20<sup>th</sup> day of December, 2023.

[F. No. CBIC-20006/1/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

**संख्या 02/2024-केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 31(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 31 दिसंबर, 2023 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

**2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 80 में, -**

(क) उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-

“(1ख) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टूर, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले में है, के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”;

(ख) उपनियम (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3ख) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टूर, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले में है, के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के स्थान पर उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा”;

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/1/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक